अल्पावास गृह संचालन हेतु प्रस्ताव आमंत्रण (Request for Proposal)

1. **परिचयः** महिला एवं बाल विकास निगम, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण एवं विकास के लिए बिहार सरकार की एक नोडल संस्था है।

2. **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनाः** राज्य सरकार द्वारा महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2007 में एक समेकित नारी शक्ति योजना की स्वीकृति दी गयी थी, जिसे मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के नाम से जाना जाता है। यह योजना शत प्रतिशत राज्य सरकार की निधि से संचालित है।

3. **अल्पावास गृहः** घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के तहत महिलाओं के संरक्षण हेतु तथा विभिन्न प्रकार की हिंसा से पीड़ित एवं प्रताड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को अल्पकालीन आश्रय प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के 38 जिलों में एक–एक अल्पावास गृह की स्थापना एवं संचालन स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी गयी है। राज्य के 37 जिलों में 25 बिस्तरों की क्षमता वाले एक **(01)** अल्पावास गृह एवं पटना जिले में 50 बिस्तर की क्षमता वाले एक **(01)** अल्पावास गृह का संचालन किया जाना है।

4. **आवश्यक अर्हतायं**: – **प्रस्ताव** (Request For Proposal) **देने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं की निम्नांकित अर्हतायें होगीः–**

क्र0 सं0	मानदंड	आवश्यक दस्तावेज (स्व हस्ताक्षरित–फोटोकॉपी)	चयन के लिए आवश्यक
(क)	संस्था, भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 अथवा सोसायटी अधिनियम 1860 के अधीन न्यूनतम 03 वर्ष से निबंधित हो।	संस्था का पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं उप–विधियां	अनिवार्य
(ख)	संस्था नीति आयोग द्वारा संस्थापित NGO Darpan Portal में अनिवार्य रूप से निबंधित हो	NGO Darpan Portal पर पंजीकरण का साक्ष्य	अनिवार्य
(ग)	1. संस्था को महिला / बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने का अनुभव हो। 2. महिलाओं को घरेलू हिसा प्रतिषेध अधिनियम, 2005 एवं अनैतिक मानव रोकथाम अधिनिमय 1986 /बाल संबंधी कानून एवं नियमों से संबंधित कार्यो के अनुभव वाली संस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।	कार्यादेश एवं कार्यानुभव से संबंधित साक्ष्य	अनिवार्य

(घ)	संस्था का विगत 3 वर्षो का औसत आय कम–से–कम 10 लाख रूपये का हो।	विगत तीन वित्तीय वर्ष (2018-2019, 2019-2020, & 2020- 2021) का चार्टड एकाउंटेंट द्वारा अंकेक्षित आय–व्यय प्रतिवेदन।	अनिवार्य
(च)	संस्था/ट्रस्ट किसी भी सरकार/विभाग के द्वारा काली सूची में दर्ज ना हो।	संस्था के काली सूची में दर्ज नहीं होने का नोटरी का शपथ पत्र विज्ञापन प्रकाशन के बाद की तिथि मे होनी चाहिए।	अनिवार्य

5. . मूल्यांकन

(क) **प्रथम चरण (तकनीकी समीक्षा)**– विज्ञापन में वर्णित अर्हत्ताओं के आलोक में स्वयं सेवी संस्थाओ द्वारा समर्पित प्रस्तावों की जाँचोपरांत द्वितीय चरण हेतु किया जायेगा।

(ख) **द्वितीय चरण (अंक निर्धारण)**–संस्था के चयन हेतु अंक निर्धारित किये गये हैं। अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन से किया जायेगा। अंकों का निर्धारण निम्न प्रकार होगा–

क्रमांक	आधार	कुल अंक (अधिकतम)
1	प्रस्तुतीकरण (Powerpoint)	15
2	कार्यानुभव	20
3	साक्षात्कार	15
	कुल अंक	50

(ग) अधिकतम अंक प्राप्त करने वाली संस्था का चयन अंतिम रूप से संस्था के भौतिक सत्यापन के उपरांत किया जायेगा।

6. बजट :–

महिला विकास निगम द्वारा राज्य के 37 जिला (पटना जिला को छोड़कर) में अल्पावास गृह (25 बिस्तर की क्षमता) के संचालन हेतु कुल वार्षिक बजट रू0 28,50,160/–(आवर्तक मद प्रति वर्ष हेतुरू0 26,75,160/–एवं अनावर्तक मद प्रति 03 वर्ष के लिये रू0 1,75,000/–) तथा पटना जिला में अल्पावास गृह (50 बिस्तर की क्षमता का) हेतु कुल रू0 48,70,160/– (आवर्तक मद हेतु प्रति वर्ष कुल रू0 45,20,160/– तथा अनावर्तक मद हेतु प्रति 03 वर्ष के लिये रू. 3,50,000/–) बजट अनुमोदित है।

संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश

7. शुल्क

प्रस्ताव (Request For Proposal) के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

8. प्रस्तावक संस्था का विवरण

(क) संस्था की पृष्ठभूमि एवं संक्षिप्त परिचय

(ख) प्रस्तावित कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर संस्था का दृष्टिकोण और कार्य प्रणाली संबंधी दस्तावेज।

9. प्री बीड मीटिंग

इच्छुक संस्थाओं के लिए महिला एवं बाल विकास निगम में एक प्री बीड मीटिंग का आयोजन 2 नवंबर 2022 को 11.30 बजे से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संस्थाएं अपने प्रश्नों(querry) को support.wdc@bihar.gov.in पर 1 नवंबर को संध्या 5 बजे तक भेज सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के उपरांत इस संबंध में कोई पत्राचार/संपर्क का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10.प्रस्ताव स्वीकार/ निरस्त करने का अधिकार

निगम को किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने तथा प्रस्ताव प्रक्रिया को पूर्णतया रद्द करने और सभी प्रस्तावों को कार्यादेश निर्गत करने के पूर्व बिना कोई कारण बताये समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

11. धोखाघड़ी और भ्रष्टाचार :–

भ्रष्ट आचरण से अर्थ है कि निगम के किसी भी पदाधिकारी/कर्मी को कार्य करने अथवा कार्य को प्रभावित करने या अनुबंध निष्पादन में प्रस्तावदाता द्वारा किसी मूल्य की पेषकष करना है। साथ ही गलत ब्यौरा/साक्ष्य देना धोखाघड़ी माना जायेगा तथा इस प्रकार का मामला संज्ञान में आने पर संस्था के विरूद्ध कार्रवाई की जायेगी।

12.संशोधन :–

प्रस्ताव समर्पित करने के पूर्व किसी भी समय निगम द्वारा किसी भी कारण से प्रस्ताव के आमंत्रण (Request For Proposal) को परिमार्जित (संशोधन) किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के संशोधन होने की स्थिति में इसकी सूचना निगम के वेबसाईट पर दी जायेगी।

13.प्रस्ताव का प्रमाणीकरण :–

(क) प्रस्ताव दस्तावेज स्वच्छ एवं मुद्रित तथा उस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होगा, जो संस्था के प्राधिकार द्वारा प्रस्ताव करने हेतु अधिकृत होगें। यदि संस्था प्राधिकार स्वयं अपने हस्ताक्षर से प्रस्ताव समर्पित नहीं कर किसी अधिकृत प्रतिनिधि को निदेशित करते है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के लिये (Power of Attorney) प्राधिकृत पत्र के रूप में संलग्न होगा। प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा प्रस्ताव दस्तावेज के सभी पृष्टों पर, जहां से संशोधन हुए हैं, हस्ताक्षर एवं मोहर के सहित समर्पित किया जायेगा।

(ख) प्रस्ताव एवं संलग्न अनुलग्नक सहित सभी पृष्ठों पर पृ. संख्या अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए।

(ग) अर्हतायें संबंधी सभी दस्तावेज संस्था सचिव/प्रधान द्वारा स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिए ।

(घ) अर्हतायें संबंधी सभी दस्तावेज संस्था सचिव/प्रधान द्वारा स्व–अभिप्रमाणित होना चाहिए।

(ड.) प्रस्तावक संस्था द्वारा प्रस्ताव में अल्पावास गृह संचालन हेतु जिला अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। साथ ही एक से अधिक जिला के लिए प्रस्ताव अलग–अलग होना चाहिए।

(च) प्रस्ताव पर जिला का नाम अंकित नहीं होने एवं एक ही प्रस्ताव पर कई जिलों का नाम अंकित होने की स्थिति में प्रस्ताव को अमान्य कर दिया जायेगा।

14. प्रस्ताव भेजने का पताः

संस्थाओं का प्रस्ताव (Request For Proposal) केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा सील बंद लिफाफे में दिनांक 17 नवंबर 2022 को संध्या 5.30 बजे तक निगम कार्यालय में जमा किया जा सकेगा। लिफाफे के उपर स्पष्ट अक्षरों में **Proposal for running Short Stay Home, …… (जिला)** लिखा होना चाहिये। अंतिम तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

कार्यपालक निदेशक
महिला एवं बाल विकास निगम, बिहार।